न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/62/2025	2025/253	26.06.2025	12.08.2025

1. धान्धू पुत्र श्री हरिकिशन जाति मीना निवासी ग्राम ईशवाना तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

——प्रार्थी

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र रामदत्त जाति मीना निवासी ग्राम ईशवाना तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

2. ग्राम पंचायत माचाडी जरिये सरपंच/सचिव पंचायत समिति रैणी जिला अलवर राज0।
3. राज0 सरकार जरिये लैड हौल्डर तहसीलदार साहब तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—
01—श्री जगदीश शर्मा —वकील प्रार्थी
02—श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता —वकील अप्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी के प्रकरण बउनवान बृजमोहन बनाम ग्राम पंचायत माचाडी वगैहरा मु.सं. 11/2024 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मिन प्रार्थी व अन्य के खिलाफ राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1954 के तहत न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर राज० में बउनवान बृजमोहन बनाम ग्राम पंचायत गाचाही वगैहरा का गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नंबर 2787 रकबा 1.42 हैक्टेयर में आने जाने के लिये मिन अप्रार्थी संख्या—02 ग्राम पंचायत माचाड़ी की आराजी खसरा नंबर 2783 रकबा 0.05 हैक्टेयर एवं मिन प्रार्थी के खसरा नंबर 2782 रकबा 0.48 हैक्टेयर बाके ग्राम माचाडी तहसील रैणी में से होकर आने जाने का रास्ता कायम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो तहत अदालत में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 27—06—2025 की नियत है। तहत अदालत के द्वारा मिन प्रार्थी को न्याय की कतई उम्मीद नहीं है और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में फैसला करने की गर्ज से जल्दी जल्दी तारीख पेशी दी जा रही है तथा अप्रार्थी वादी के कहे अनुसार ही उपरोक्त प्रकरण में तारीख पेशी नियत की जा रही है। इसलिये गिन प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 02 को न्याय की कतई उम्मीद नही है। इसलिये मुन्तकिल प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिमी आया है। तहत अदालत के द्वारा नातो किसी समक्ष अधिकारी के माध्यम से गौके का भौतिक निरीक्षण किया गया है और अप्रार्थी/वादी पूर्व से ही खसरा नंबर 2788 जो रास्ते के लगता हुआ है से अपनी खातेदारी में आता जाता है जो लघुतम रास्ता है जिसका भी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अवलोकन नहीं किया है बल्कि बेजारूप से तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से साज बाज होकर व अपने प्रभाव का उपयोग करके, गैर कानूनी तरीके से मिन प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से जबरन रास्ता कायम करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या–01/वादी व पीठासीन अधिकारी आपस में मिले हुये है मिन प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–01 ने यह ऐलानिया रूप से कहा कि पीठासीन अधिकारी उनके मिलने वाले है और उनसे अच्छे ररूकात है और हमारी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है और हम हमारे अनुसार पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में निर्णय करवा लेगें। मिन प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 ने भी अप्रार्थी/वादी संख्या 1 एवं उनके रिश्तेदारों को कई मतबा न्यायालय समय में पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा है। जिस कारण से मिन प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 02 को पहले ही इस बात का शक था परन्तु अप्रार्थी बृजमोहन के द्वारा ऐलानिया कहने के बाद मिन प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 02 को पूरा–पूरा विश्वास हो गया है कि तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी बृजमोहन से साजबाज है जिस कारण से मिन प्रार्थी प्रतिवादी उक्त प्रकरण की सुनवाई अधिनस्थ न्यायालय में नहीं करवा कर अन्य किसी सक्षम न्यायालय में करवाना चाहता है कि जिससे की प्रार्थी के साथ न्याय हो सके एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना की जा सके। इसलिये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिमी आया है। विधि का सिद्धान्त है कि जब किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी में पक्षकारों का विश्वास नही रह जाता है तो उस पीठासीन अधिकारी को स्वयं ही प्रकरण की सुनवायी नही करनी चाहिये। ताकि विधि की गरीमा बनी रह सके। और पक्षकारों का विश्वास कानून में बना रहे। इसलिये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश है। उक्त प्रकरण में तहत अदालत द्वारा गत तारीख पेशी दिनांक 18–06–2025 को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी जबरन बहस पर उतारू हो गये और आगामी तारीख पेशी दिनांक 27–06–2025 को मिन प्रार्थी पर दबाव दिया और पीठासीन अधिकारी ने मिन प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में से रास्ता कायम करने के आदेश जारी करने के लिये कहा कि जिससे तहत अदालत से न्याय की उम्मीद नही है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने भी दिनांक 18–06–2025 को मिन प्रार्थी को कहा कि आगामी तारीख पेशी दिनांक 27–06–2025 को ही तुम्हारा फैसला कर देगे व मिन प्रार्थी को बिना सुने ही पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 01 के प्रभाव व दबाव में आकर निर्णय करने को उतारू हो रहे है इसलिये न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिये उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। जिससे मिन प्रार्थी को उक्त प्रकरण में न्याय मिल सकेगा।

अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मिन प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 11/2024 बउनवान बृजमोहन बनाम ग्राम पंचायत माचाडी वगैहरा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आगामी तारीख पेशी 27–06–2025 से तलब कर उक्त मुकदमा को सुनवाई हेतु दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कृपा करे। जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा।

अप्रार्थी वकील 01 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि यह कि मिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, रैणी जिला अलवर राज० में बउनवान बृजगोहन बनाम ग्राम पंचायत माचाडी का सही तथ्यो के आधार पर इस आशय का पेश किया हुआ है कि आराजी खसरा नम्बर 2787 रकबा 1.42 है0 में आने–जाने के लिए मिन अप्रार्थी संख्या 1 बृजगोहन को अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत माचाडी की

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

आराजी खसरा नम्बर 2783 रकबा 0.05 है० एवं प्रार्थी धान्यू पुत्र हरिकिशन के खसरा नम्बर 2782 रकबा 0.48 है० वाके ग्राम माचाडी तहसील रैणी में रो होकर आने–जाने का रास्ता कायम किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है कि प्रार्थी बृजमोहन की खातेदारी की उक्त आराजी में आमद रफत का एक 15 फुट चौडा रास्ता सडक सरकारी रो तरफ पूर्व को स्थित अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत माचाडी की आराजी खसरा नम्बर 2783 रकबा 0.05 है० व प्रार्थी धान्धू की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2782 रकबा 0. 48 है० तक पहुंचता है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 2787 रकबा 1.42 है० वाके ग्राम माचाडी तहसील रैणी तक जाता है। जिस रास्ते को अप्रार्थी संख्या । द्वारा संलग्न नक्शे प्रार्थना पत्र में बरंग सुर्ख से दर्शाया गया है । उक्त रास्ते से ही अप्रार्थी संख्या । स्वयं की खातेदारी की आराजी में हमेशा से आमद रफत करता रहा है जबकि उक्त रास्ते के अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी पर आगद रफत के लिए अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही है और यही रास्ता लघुतम है । इस प्रकार मिन अप्रार्थी संख्या 1 बृजमोहन द्वारा उक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है जो अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अनुवानी वाद में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी का यह अंकित करना गलत है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में जल्दी जल्दी तारीख पेशीया दी जा रही है। वादी अप्रार्थी संख्या 1 के कहे अनुसार उक्त अनुवानी प्रकरण में कोई तारीख पेशी नही दी जा रही है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने रजिस्टर के अनुसार ही तारीख पेशी नियत की जा रही है । प्रार्थना पत्र 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जो अपार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है, उक्त प्रार्थना पत्र जो कि समरी प्रोसिडिंग प्रकृति का है, जिसका निस्तारण जल्दी किए जाने के राजस्व विभाग द्वारा समय–समय पर नोटिफिकेशन जारी किए हुए है। इस आधार पर भी प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किए है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र का बदयांतिपूर्वक फैसला नही होने देना चाहता। जिस कारण प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी का यह अंकित करना गलत है कि अप्रार्थी वादी पूर्व से ही खसरा नम्बर 2788 से जो रास्ते से लगता हुआ है, अपनी खातेदारी में जाता है बल्कि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 बृजमोहन की खातेदारी की उक्त आराजी में आमद रफत का एक 15 फुट चौडा सस्ता सडक सरकारी से तरफ पूर्व को स्थित अपार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत माचाडी की आराजी खसरा नम्बर 2783 रकबा 0. 05 है० व प्रार्थी धान्धू की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2782 रकबा 0.48 है0 तक पहुंचता है जो कि अप्रायर्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 2787 रकबा 1.42 है० वाके ग्राम माचाडी तहसील रैणी तक जाता है। जिस रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा संलग्न नक्शे प्रार्थना पत्र में बरंग सुर्ख से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते से ही अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं की खातेदारी की आराजी में हमेशा से आमद रफत करता रहा है जबकि उक्त रास्ते के अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी पर आमद रफत के लिए अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही है और यही रास्ता लघुतम है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 से किसी प्रकार से साज–बाज नही है और वो कानूनी तरीके से नियमानुसार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में कानूनी तरीके से कार्यवाही कर रहे है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मनगढंत तथ्यो के आधार पर दायर किया है जो खारिज होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 व पीठासीन अधिकारी आपस में मिले हुए नही है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र का फैसला नही होने देना चाहता इसलिए उसने गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मिन अप्रार्थी सांख्या 1 ने यह कभी ऐलानिया रूप से नहीं

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

कहा कि पीठासीन अधिकारी उनके मिलने वाले है और उनरो अच्छे रसूखात है। प्रार्थी का यह भी अंकित करना गलत है कि मिन अप्रार्थी सांख्या 1 द्वारा यह कहा गया हो अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से हमारी बातचीत हो गई और हम हमारे अनुसार पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में निर्णय करवा लेगें, सासरत तथ्य गलत है। पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर रहे है और प्रार्थी उक्त प्रकरण का बदनियतिपूर्वक फैसला नही होने देना चाहते इसलिए गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है। मिन अप्रार्थी संख्या 1 व उसके रिश्तेदार कभी भी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में नहीं गए और अप्रार्थी सांख्या 1 के रिश्तेदार तो न्यायालय में आते ही नही है और अप्रार्थी सांख्या 1 न्यायालय में ही उपस्थित होता है, वो कभी भी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में नही गया। मिन अप्रार्थी बृजमोहन द्वारा कभी भी ऐलानियां तौर पर यह नहीं कहा कि उनके पीठासीन अधिकारी से सम्बन्ध है। प्रार्थी ने मनगढंत तथ्य दर्ज किए है, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी धान्धू ने उक्त प्रकरण में देरी करने की नीयत से गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज होने योग्य है। पीठासीन अधिकारी कानून के अनुसार ही सुनवाई कर रहे है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रकरण में प्रार्थी धान्धू बहस नही करना चाहते और प्रकरण का फैसला नही होने देना चाहते और पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी येन–केन प्रकारेण पीठासीन अधिकारी पर नाजायज दबाव बनाना चाहता है। जिस कारण गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। मिन वादी अप्रार्थी संख्या के दबाव में नहीं है और पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 18/06/2025 को मिन अप्रार्थी से कभी यह नहीं कहा कि 27/06/2025 को तुम्हारा फैसला बिना सुने ही कर देगें, समस्त तथ्य गलत दर्ज किए है। पीठासीन अधिकारी वादी अप्रार्थी संख्या के प्रभाव में नही है। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में फैसला नही होने देने की मंशा से गलत तथ्यो के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थी ने उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र मनगढंत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है और इस बाबत प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थी चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है जो किसी ना किसी तरीके से उक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता। जिस कारण गलत तथ्यो के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिजी है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो पर गौर फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर के जवाब प्रार्थना पत्र पर चिन्तन–मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र मुंतकिल अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी के प्रकरण बउनवान बृजमोहन बनाम ग्राम पंचायत माचाडी वगैहरा मु.सं. 11/2024 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने में आगामी तारीख पेशी 01.08.2025 नियत हैं। जिसमें विधिवत् एवं न्यायालय प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही हैं। उक्त प्रकरण में तहसीलदार रैणी की रिपोर्ट लंबित हैं। तहसीलदार रैणी की रिपोर्ट के पश्चात् ही उक्त प्रकरण में आगामी कार्यवाही किया जाना संभव हैं। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार व मनगढंत है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा गुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)